

53

120-11-5

न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2015 अपील

1. महिला राजवती पत्नि आशाराम लोधी
2. भमानी सिंह } पुत्रगण आशाराम
3. दातार सिंह } लोधी
4. कमल सिंह पुत्र अनुरत लोधी
सूरजसिंह पुत्र गंगू लोधी मृत वारिस
5. काशीराम } पुत्र गण स्व.सूरज
6. विशुनलाल } सिंह लोधी
7. मुन्ना }
8. इमरत }
9. हरीराम }
10. अपरवल पुत्र गंगू लोधी निवासी गण ग्राम
ममरोनी तह. खनियाधाना जिला शिवपुरी
म.प्र.

दिनांक 19-1-15 को
श्री कृष्ण चि. चार्कड
कामि द्वारा प्रस्तुत।

19-1-15
50

--- अपीलान्तगण

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन
2. देशराज पुत्र रंगना लोधी
3. मुस. सरजू पुत्री रंगना लोधी निवासी गण
ग्राम ममरोनी तह. खनियाधाना जिला
शिवपुरी म.प्र.

--- रेष्यों. गण

SPOLHUN
19-1-15

अपील अंतर्गत धारा 35(4) म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा
1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के
प्र.क. 624/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक
26/12/2014 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

अपीलान्तगण की ओर से अपील निम्न प्रकार पेश है :-

अपील के संक्षेप में तथ्य :-

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि
विवादित भूमि सर्वे क. 157, 212, 213, 214, 732, 820, 821, 822, 823, 824, 825,
826, 832, 172/1, 678, 706/1, 707, 708, 108, 154, 155, 168, 194, 739, 714,
715, 893, 518, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 544, 545, 546, 547, 548,
549, 550, 551, 553, 554, 98, 99, 100, 101, 102, 163, 165, 166, के सह भूमि
स्वामी उक्त भूमि का बंटवारा हेतु आवेदन पत्र रेष्यों.कं. 2 व 3 के द्वारा प्रस्तुत किया
गया उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण क्रमांक
11/अ-27/10-11 पर दर्ज किया जाकर बंटवारा फर्दों का प्रकाशन किये बिना तथा

M


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... A.124/III/15... जिला... ग्वालियर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 27-6-16 | <p>आवेदन श्री. का एस. पी. वाहड उपस्थित/ अना. 1 की कोर ले आदीप पेशवा अर्थात् उपना. 2 एवं 3 की कोर ले आदीप शार्क उपना. अधिनियम-मामलूम अधिविभागीय अधिकांकी न्याय प्रकरण के अधीनस्थ की अनुपस्थिति के कारण संहिता की धारा 35(2) के अधीन अर्थात् पेशवा में निरास्त कर दिया गया प्रत्येक प्रकरण को न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत संहिता की धारा 35(3) के अधीन प्रत्येक प्रकरण को न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत कर दिया गया जिसके विरुद्ध अपा अधिनियम के धारा अधीन संहिता की धारा 44(2) के अधिनियम प्रस्तुत की गई। अतः अधीन 35 अधिनियम पर निरास्त कर संहिता की धारा 35(3) के अधीन प्रत्येक की अधिनियम नहीं है। अतः धारा 35(3) के विरुद्ध अधीन अधिनियम-मामलूम में प्रस्तुत अर्थात् अधिनियम के विरुद्ध अधिनियम में संहिता की धारा 35(4) के अधीन प्रस्तुत की गई। परन्तु अधिनियम अधिनियम में प्रस्तुत</p> | |

A 124/III/15 शिवपुरी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|---|
| | <p>गङ्गा-बेग के कानून अंतर्गत अर्पण का समय आती है। उसे लक्षित मामलों में अर्पण करने के लिए बीच का समय कम करते हुए समय सीमा में अर्पण करने के लिए लक्षित मामलों में अर्पण स्वतंत्र है। अतः अर्पण की जाएगी। समाप्त की जाती है। रिक्त सिलेब</p> | <p></p> |

12